न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
12/2022	19.05.2022	19.06.2022

उनवान

1. विद्यानन्द पुत्र अमीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम हुडिया कला तह. नीमराना।

–:प्रार्थी।

बनाम

1. प्रकाश पुत्र अंगनाराम जाति अहीर निवासी ग्राम हुडिया कलां तह0 नीमराना।
2. बुद्वराम पुत्र अंगनाराम जाति अहीर निवासी ग्राम हुडिया कलां तह0 नीमराना।
3. हंसराज पुत्र मूला जाति बैरागी निवासी ग्राम हुडिया कलां तह0 नीमराना।
4. कांती पुत्री मूला जाति बैरागी निवासी ग्राम हुडिया कलां तह0 नीमराना।
5. रमेश पुत्र रामकुवार जाति बैरागी निवासी ग्राम हुडिया कलां तह0 नीमराना।
6. बेगराज पुत्र जोधाराम जाति अहीर निवासी ग्राम हुडिया. कलां तह0 नीमराना।
7. जगमाल पुत्र दुर्जन जाति अहीर निवासी ग्राम हुडिया कलां तह0 नीमराना।
8. धनपति पत्नी धर्मवीर जाति अहीर निवासी ग्राम हुडिया कलां तह0 नीमराना।
9. देवकी देवी पत्नी बस्तीराम जाति अहीर निवासी ग्राम हुडिया कलां तह0 नीमराना।
10. सोमवती पत्नी बाबूलाल जाति अहीर निवासी ग्राम हुडिया कलां तह0 नीमरानां
11. श्रीमान तहसीलदार साहब,नीमराना जिला अलवर।

:–अप्रार्थीगण।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 एल0आर0एक्ट0</u>

–::निर्णय::–

<u>दिनांक :–19.06.2023</u>

आज पत्रावली मे पेश हुई। प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. प्रार्थी ने यह प्रा0पत्र अतंर्गत धारा 128,111 आर0टी0एक्ट,1955 के तहत पेश किया है। जबकि आर0टी0एक्ट0,1955 की धारा 128,111 पत्थरगढी के लिए नही है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128,111 मे पत्थरगढी किए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा गलत अधिनियम व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है,जो गलत है,परन्तु न्यायहित मे प्रार्थना पत्र को सही अधिनियम व धारा के तहत मानते हुए निर्णित किया जा रहा है। प्रार्थी ने प्रा0पत्र पेशकर निवेदन किया कि मिन प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हाल ख.नं. 156/0. 54,209/0.91,171/801/0.05 वाके ग्राम हुडिया कलां मे स्थित है। जिसकी सीमा ज्ञान पैमाईश दिनांक 09.06.2002 के मुताबिक मिन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर अप्रार्थी द्वारा कब्जा किया हुआ मिला तथा बेगराज पुत्र जोधाराम व सत्यवीर पुत्र झूथाराम ने पत्थरगढी मे व्यवधान डाला पत्थरगढी नही करने दी मौके पर पूर्व मेड के साथ–साथ एक गठा चौडी तथा 25 गठठे लम्बी भूमि रामकुमार पुत्र मूलचन्द 1*76 गठठे भूमि पाई गई। ख.नं. 156 के पश्चिमी–दक्षिणी कोने पर 04*04=16 वर्ग गठठे भूमि जगमाल पुत्र दुर्जन के कब्जे मे पाई गई। जिस सीमाज्ञान की प्रति संलग्न है। अप्रार्थीगण सीमाज्ञान पैमाईश को नही मान रहे है मिन प्रार्थी की खातेदारी के ख0नं0 156 व 209 की भूमि को दबाते जा रहे है। समझाने पर भी नही मान रहे है,इसलिए प्रार्थी को यह प्रा0पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार,नीमराना को आदेश दिया जावे की वो ख.नं. 156/0.54,209/0.91,171/801/0.05 वाके ग्राम हुडिया कलां की पैमाईश दिनांक 09.06.2002 के मुताबिक मौके पर पुख्ता पत्थरगढ़ी कराई जावे। अगर पैमाईश के मुताबिक पत्थरगढी करने मे किसी व्यक्ति द्वारा व्यवधान डाला जावे तो पुलिस इमदाद के साथ पुख्ता पत्थरगढी कराई जावे।

3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नाटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण वावजूद सूचना के न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुए लिहाजा उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल लाई गई।

4. वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली के सलग्न नकल जमाबन्दी सं0 2076–79 के अनुसार आराजी हाल ख.नं. 156/0.54,209/0.91,171/801/0.05 वाके ग्राम हुडिया कला तह. नीमराना प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है। नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.06.2002 के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थीया को दिनांक 09.06.2002 को सीमाज्ञान कराया गया है। जिस सीमाज्ञान के अनुसार ही मौके पर पत्थरगढी कराया जाना उचित प्रतित होता है।

5. **अतः आदेश है किः–**

प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर हाल आराजी हाल ख.नं. 156/0.54,209/0.91,171/801/0.05 वाके ग्राम हुडिया कला तह0 नीमराना की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.06.2002 के अनुसार कराये जाने के आदेश तहसीलदार,नीमराना को दिए जाते है। आदेश कि प्रति मय नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.06.2002 तहसीलदार,नीमराना को भेजी जावे। पत्रावली फैसलशुमार हो कर दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

19/6/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं [illegible]
पदेन सहायक कलेक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)